संख्या-26/2016/2362 ई-2/तेरह-2015-164/86टी0सी0

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 05 मई,2016

विषय:- मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर द्वारा बाटलिंग लाइसेंस नवीनीकरण मद में जमा धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-34/1224 ई-2/तेरह-2015-164/86टीसी, दिनांक 07 अगस्त,2015 तथा तत्क्रम में अपने पत्र संख्या-जी-26/नौ-अल्कोहल/163/ रिफण्ड/रेडिको, दिनांक 09-10-2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या 1188/2010 मेसर्स रेडिको खेतान लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23-8-2010 के अनुपालन में आसवनी में मे0 रेडिको खेतान लि0, रामपुर (यूनिट माल्ट स्प्रिट प्लान्ट) रामपुर तथा मे0 रामपुर डिस्टिलरी (ए यूनिट आफ रेडिको खेतान लि0) रामपुर के नाम से दो एफ0एल0-3 अनुज्ञापन कार्यरत थे, जो बाद में एक हो गये, के नवीनीकरण के मद में जमा की गई धनराशि क्रमश: रू0 6.00 लाख (रूपये छ: लाख) मात्र व रू0 6.00 लाख (रूपये छ: लाख) मात्र अर्थात् कुल रूपये 12.00 लाख (रूपये बारह लाख मात्र) वापस किये जाने की स्वीकृति उक्त शासनादेश दिनांक 07 अगस्त,2015 द्वारा प्रदान की गई थी। तद्क्रम में प्रेषित आपके पत्र दि0 09 अक्टूबर,2015 में यह अवगत कराया गया है कि वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 की अवधि में आसवनी में मे0 रेडिको खेतान लि0, रामपुर (यूनिट माल्ट स्प्रिट प्लान्ट) रामपुर तथा मे0 रामपुर डिस्टिलरी (ए यूनिट आफ रेडिको खेतान लि0) रामपुर के नाम से दो एफ0एल0-3 अनुज्ञापन कार्यरत थे, जो बाद में एक हो गये तथा वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 की अवधि में आसवनी में एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं था। उक्त का उल्लेख करते हुये आप द्वारा शासनादेश दिनांक 07 अगस्त,2015 के बिन्दु संख्या-2 में एफ0एल0-3 एवं एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन के स्थान पर दो एफ0एल0-3 अनुज्ञापन के सम्बन्ध में आसवक द्वारा वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 की अवधि में लाईसेंस के नवीनीकरण के मद में जमा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की गई धनराशि क्रमश: रू0 6.00 लाख (रूपये छ: लाख) मात्र व रू0 6.00 लाख (रूपये छ: लाख) मात्र अर्थात् कुल रूपये 12.00 लाख (रूपये बारह लाख मात्र) वापस किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3- तद्क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 07 अगस्त,2015 के बिन्दु संख्या-2 में आंशिक संशोधन करते हुये उसमें वर्णित एफ0एल0-3 एवं एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन के स्थान पर दो एफ0एल0-3 अनुज्ञापन के सम्बन्ध में आसवक द्वारा वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 की अवधि में लाईसेंस के नवीनीकरण के मद में जमा की गई धनराशि क्रमश: रू0 6.00 लाख (रूपये छ: लाख) मात्र व रू0 6.00 लाख (रूपये छ: लाख) मात्र अर्थात् कुल रूपये 12.00 लाख (रूपये बारह लाख मात्र) वापस किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- इस सम्बन्ध में जमा की गई धनराशि की वापसी को वर्ष 2016-17 के लेखा शीर्षक "0039-राज्य उत्पाद शुल्क-00-105-विदेशी लिकर एवं स्प्रिट-90-घटाएं वापसियॉ-00" के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त शासनादेश संख्या-34/1224 ई-2/तेरह-2015-164/86टीसी, दिनांक 07 अगस्त, 2015 की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या-26/2016/2362(1)ई-2/तेरह-2015 तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासना
(3) उप आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद प्रभार, मुरादाबाद।
(4) सहायक आबकारी आयुक्त, मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर।
(5) मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर।
(6) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।